मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/अनुस्मारक/परिपत्र

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या- 24 /2017 दिनांकः लखनऊ अगस्त 11, 2017

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (संख्या 11801-11804/2005) जयप्रकाश बनाम नेशनल इश्योरेंस कम्पनी में दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को आदेश पारित करते हुए समस्त राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को उनके द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया था । मा0 सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के क्रम में पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उ0प्र0 द्वारा परिपत्र संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0 48/2010 दिनांक 5 मार्च, 2010 आप सभी को अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया था।

2- पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पत्रांक-डीजी-दस-वि0प्र0-42/15 दिनांक 21 जुलाई, 2015 समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वे अपनें-अपनें जोन में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।

3- अभी भी यह देखा जा रहा है कि जनपदीय पुलिस अधीक्षक स्तर पर आदेश के अनुपालन करानें में शिथिलता बरती जा रही है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी निम्नवत आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :-

(1)प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष दुर्घटना की प्रथम सूचना रिर्पोट अंकित किये जानें के 30 दिन के अन्दर केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में दिये गये फार्म नं0 54 में सूचना मोटर वाहन दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा इसके साथ निम्न अतिरिक्त सूचनाये भी प्रस्तुत करेगें।

(i) दुर्घटना के समय पीड़ित/पीड़िता की उम्र ।
(ii) पीड़ित की आय(आय के सम्बन्ध में संबंधित तहसीलदार से सूचना प्राप्त की जायेगी)
(iii) परिवार में आश्रितों के नाम एवं उम्र(तहसीलदार से सूचना प्राप्त की जायेगी)

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पृष्ठ संख्या 13 के प्रस्तर 11 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग, पुलिस महानिदेशक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 158(6) को लागू करनें हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें । अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित विभागों से सहयोग प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

(2) एक्सीडेंट इन्फार्मेशन रिपोर्ट के साथ निम्न अभिलेख जो प्रमाणित होगें, संलग्न किये जायेगें । एफ0आई0आर0 की प्रति, साइट स्केच, महाजार (Mahazar) घटनास्थल का फोटोग्राफ, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस पालिसी(यदि आवश्यक हो तो वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रति), मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति, चुटहिल/घायल प्रमाण पत्र(घायल होने की दशा में), घायल/मृतक के आश्रितों के नाम व पते ट्रिब्युनल को प्रस्तुत किये जायेगें।

नोटः- Mahazar के सम्बन्ध में शाब्दिक अर्थ की व्याख्या करनें हेतु उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया जा रहा है। यदि किसी अधिकारी को इसका अर्थ ज्ञात प्राप्त हो, तो कृपया इस मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

(3) ए0आई0आर0(एक्सीडेन्ट इनफारमेशन रिपोर्ट) की प्रति संलग्नको सहित सम्बन्धित बीमा कम्पनी को प्रेषित की जायेगी।

(4) पुलिस थानें के भारसाधक अधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा घायल/मृतक के परिवार को एक्सीडेन्ट ट्रिब्युनल द्वारा सुनवाई की प्रथम तिथि, ड्राइवर का नाम, वाहन के स्वामी का नाम एवं इन्श्योरर कम्पनी का नाम अधिसूचित किया जायेगा एवं ट्रिब्युनल द्वारा निर्देश देने पर घायल/मृतक के परिवारीजन की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी ।

(5) परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग इस कार्य में पुलिस विभाग को वॉछित सहयोग प्रदान करेगें ।

ऐसा देखा जा रहा है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरती जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक गणों द्वारा इस ओर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः आदेश के अनुपालन हेतु निम्नवत् कार्यवाहियॉ सुनिश्चित कराई जाए।

(i) मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 158(6) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 150 के अन्तर्गत फार्म 54 द्वारा अपेक्षित 30 दिवस के भीतर भेजे जानें वाली सूचना के प्रेषण में शिथिलता एवं लापरवाही बरती जाने के सम्बन्ध मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद जॉच कराकर दोषी अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगे।

(ii) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, जोन्स/परिक्षेत्रीय जॉच सही ढ़ग से होना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मासिक अनुश्रवण करते रहे कि सभी प्रकरणों में समय से रिपोर्ट दावा अधिकरण को भेजी जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

(iv) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, जोन्स/परिक्षेत्रीय अपने भ्रमण के दौरान एवं मासिक समीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में स्टेटमेंन्ट मॅगाकर उसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करेगें ।

(v) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन स्तर पर प्रत्येक तीन माह में एक बार सूचना मॅगाकर गहनता से समीक्षा कर स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना सुनिश्चित करेंगे ।

11/8/17

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- समस्त जोनल/परिक्षेत्रीय अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, यातायात, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः समस्त जिला मजिस्ट्रेट उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि वे राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों का मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यवाही में पुलिस विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान कराने का कष्ट करें।